



2026:AHC:21982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या - 1363 वर्ष 2026

हसीब अहमद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

कृपा शंकर तिवारी, राहुल द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल द्विवेदी और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह एक सफाई कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति 16.12.2008 को हुई थी। 02.11.2023 को उसका एक दुर्घटना में एकसीडेंट हो गया और वह 03.11.2023 से 07.08.2024 तक चिकित्सा अवकाश पर था, हालांकि, उक्त अवधि को चिकित्सा अवकाश नहीं माना गया है।

3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

4. पीठ पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"